न्यायमूर्ति *अनिल क्षेत्रपाल* के समक्ष

गुरदेव सिंह - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तर*वादी

2021 का CWP नंबर 12426 (O&M)

16 जुलाई, 2021

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 226, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 51 (3) (बी), 51 (3) (सी) आर/डब्ल्यू 177, 175, 176, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 - सरपंच को हटाना - उपायुक्त का अधिकार क्षेत्र - चुनाव न्यायाधिकरण की भूमिका - आयोजित- प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण निर्माण दिया जाना चाहिए क्योंकि धारा 51 और 176 अपने स्वयं के क्षेत्र में काम करती हैं। धारा 51 संबंधित निदेशक या उपायुक्त को जांच के बाद हटाने का आदेश देने में सक्षम बनाती है, जबकि धारा 176 अदालत के न्यायाधीश द्वारा चुनाव की वैधता के निर्धारण से संबंधित है।

यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम के सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा प्रभावी किया जाना है। यदि दो अलग-अलग प्रावधान एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, तो दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि दोनों प्रावधान एक-दूसरे को बाहर नहीं करते हैं। दोनों अनुभाग अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। धारा 176 तब लागू होती है जब चुनाव याचिका को अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। जबकि, धारा 51 निदेशक या संबंधित उपायुक्त को धारा 51 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आधारों के आधार पर हटाने का आदेश पारित करने में सक्षम बनाता है। धारा 51 की उपधारा (3) का खंड (सी) बदले में धारा 175 को संदर्भित करता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों में कोई दम नहीं है कि धारा 176 धारा 51 के संचालन को बाहर करती है। इसके अलावा, धारा 176 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह एक न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा चुनाव की वैधता के निर्धारण से संबंधित है। इस तरह की याचिका सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है, जिसके पास उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार क्षेत्र है जिसके भीतर चुनाव आयोजित किया गया है या आयोजित किया जाना चाहिए था। जबकि, धारा 51 संबंधित निदेशक या उपायुक्त को ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे और सरपंच और पंच को सुनवाई का अवसर देने के बाद हटाने का आदेश देने का अधिकार देती है।

(पैरा 11)

अजय जैन।

याचिकाकर्ता के वकील

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) याचिकाकर्ता ने 29.10.2018 और 23.06.2021/25.06.2021 के आदेशों को रद्द करने के लिए उतप्रेषण लेख की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की।

(2) कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता वर्ष 2016 में हुए आम चुनाव में ग्राम पंचायत गांव लुदास, तहसील और जिला हिसार के सरपंच के रूप में चुना गया था। याचिकाकर्ता का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए दावा किया कि उसने वर्ष 1989 में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना (संक्षेप में 'बोर्ड') से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। सुखबीर पुत्र गोधू राम की शिकायत पर हिसार के तत्कालीन उपायुक्त ने प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। विधि अधिकारी (पंचायत) ने प्रारंभिक जांच की। जांच के दौरान, जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार ने सत्यापन के बाद, दिनांक 16.01.2017 के अपने पत्र के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर जांच अधिकारी को सूचित किया गया कि वर्ष 1989 के क्रम संख्या 376 से 447 का परिणाम बोर्ड के अंतिम निर्णय के अधीन रद्द कर दिया गया है। जांच अधिकारी ने उपरोक्त सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपरोक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए, याचिकाकर्ता को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 (3) (सी) के साथ धारा 177 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को बोर्ड द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय को पेश करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने भी जानकारी मांगी थी। दिनांक 06.08.2018 के एक ई-मेल के माध्यम से, बोर्ड ने सूचित किया कि दिनांक 20.09.2017 के संकल्प संख्या 9 के तहत, वर्ष 1989 के सीरियल नंबर 376 से 447 तक के छात्रों का परिणाम रद्द कर दिया गया है। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को एक और मौका दिया गया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने पाया कि याचिकाकर्ता सरपंच के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं था और इसलिए, 1994 अधिनियम की धारा 51 (3) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे हटाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की, जिसे हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास और पंचायत विभाग ने भी 23.06.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया है।

(3) याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.06.2021 के आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील ने विस्तार से सुना और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अवलोकन किया।

(5) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का तर्क है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 176 के तहत दायर चुनाव याचिका में चुनाव न्यायाधिकरण के अलावा सरपंच के पद से नहीं हटाया जा सकता है। उनका तर्क है कि उपायुक्त धारा 51 के तहत याचिकाकर्ता को सरपंच के कार्यालय से हटाने की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके समर्थन में, विद्वान वकील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसका शीर्षक **लाल *चंद* बनाम *हरियाणा राज्य*[1] *है*।**

(6) इस न्यायालय ने इस दलील पर विचार किया है, तथापि, इसमें कोई दम नहीं पाया गया है। विद्वान वकील के तर्कों का विश्लेषण करने के लिए इस पीठ के आगे बढ़ने से पहले, 1994 अधिनियम की धारा 51 और 176 को नोट करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो निम्नानुसार निकाला गया है: -

<u>धारा 51</u>

(1) संबंधित निदेशक या उपायुक्त, किसी भी सरपंच 1 [* * * * *] या पंच को निलंबित कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो,--

(क) जहां किसी दंडनीय अपराध के संबंध में उसके खिलाफ कोई मामला जांच, पूछताछ या परीक्षण के अधीन है, यदि संबंधित निदेशक या उपायुक्तों की राय में उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या कार्यवाही से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है या इसमें नैतिक-पतन या चरित्र का दोष शामिल है;

(ख) जांच के दौरान किसी भी कारण के लिए उसे स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर देने के बाद, जिसके लिए उसे हटाया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निलंबित, कोई सरपंच या पंच, जैसा भी मामला हो, अपने निलंबन की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा और ग्राम पंचायत के अभिलेख, धन या कोई अन्य संपत्ति उसके कब्जे में या नियंत्रण में वह पंचायत को सौंप देगा।

(i) यदि वह सरपंच है या ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच का है;

(ii) यदि वह सरपंच का पंच है:

परन्तु किसी पंच या सरपंच की निलंबन अवधि, जैसा भी मामला हो, नैतिक पतन से संबंधित आपराधिक मामलों को छोड़कर निलंबन आदेश के अनुसरण में प्रभार सौंपने की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

---

[1] 1998 (3) RCR (Civil) 255 (FB)

(3) संबंधित निदेशक या उपायुक्त, ऐसी जांच के बाद, जो वह उचित समझे और किसी सरपंच या पंच, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसे उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने के लिए कह सकेगा और आदेश द्वारा उसे उसके पद से हटा सकेगा-

(क) यदि उसके निर्वाचन के बाद उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होता है;

(ख) यदि वह अपने चुनाव के समय ग्राम पंचायत के सदस्य होने के लिए अयोग्य था;

(ग) यदि वह ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में अपने चुनाव के बाद धारा 175 में उल्लिखित अयोग्यताओं में से किसी को भी भुगतता है;

(घ) ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति या अनुमति के बिना यदि वह समिति की लगातार पांच बैठकों से अनुपस्थित है ; और

(ङ) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी रहा है और उसका पद पर बने रहना जनहित में अवांछनीय है।

(4) एक व्यक्ति जिसे उप-धारा (3) के तहत हटा दिया गया है, उसे ऐसी अवधि के लिए फिर से चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जैसा कि आदेश में उल्लिखित किया जा सकता है लेकिन छह साल की अवधि से अधिक नहीं है।

(5) उपधारा (1), (3) और (4) के तहत पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की सूचना से तीस दिनों की अवधि के भीतर सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

(6) कोई भी सरपंच या पंच, जैसा भी मामला हो, उपधारा (3) के तहत हटाया गया, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, धन या किसी अन्य संपत्ति को अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में सौंप देगा -

(i) यदि वह ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच का सरपंच है; और

(ii) अगर वह सरपंच का पंच है।

धारा 176

(1) यदि किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या ग्राम पंचायत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पंचायत समिति या जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के किसी भी चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया जाता है। चुनाव

लड़ने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे ऐसा प्रश्न संबंधित है, ऐसा व्यक्ति चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर किसी भी समय। इस तरह के प्रश्न के निर्धारण के लिए उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार क्षेत्र वाले सिविल कोर्ट में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकते है, जिसके भीतर चुनाव हुआ है या होना चाहिए था। न्यायाधीश द्वारा चुनाव जांच की वैधता का निर्धारण एवं प्रक्रिया।

(2) एक याचिकाकर्ता निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अपनी चुनाव याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं होगा: -

(क) जहां याचिकाकर्ता सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवारों के चुनाव की वैधता को चुनौती देने के अलावा एक और राहत का दावा करता है कि वह खुद या किसी अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित किया गया है, याचिकाकर्ता के अलावा सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और जहां ऐसी कोई और राहत का दावा नहीं किया जाता है, सभी वापस किए गए उम्मीदवार;

(ख) कोई अन्य उम्मीदवार जिसके खिलाफ चुनाव याचिका में किसी भी भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए हैं।

(3) उप-धारा (1) के तहत प्राप्त सभी चुनाव याचिकाएं जिनमें एक ही चुनावी डिवीजन का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया गया है, उसे सिविल कोर्ट द्वारा सुना जाएगा।

(4) (क) यदि ऐसी जांच करने पर सिविल न्यायालय पाता है कि किसी उम्मीदवार ने निर्वाचन के प्रयोजन से उपधारा (5) के अर्थ में भ्रष्ट आचरण किया है, तो वह निर्वाचन को निरस्त कर देगा और निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा और नया निर्वाचन कराया जा सकेगा।

1[(क) यदि ऐसी जांच करने पर सिविल न्यायालय पाता है कि-

(i) अपने चुनाव की तारीख पर एक लौटा हुआ उम्मीदवार निर्वाचित होने के योग्य नहीं था;

(ii) किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है; नहीं तो

(iii) चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार से संबंधित है, किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट

आचरण से या किसी भी वोट के अनुचित स्वीकृत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट के स्वागत या प्रावधानों का पालन न करने या उल्लंघन करने से। प्रभावित हुआ है जो शून्य है. भारत के संविधान या इस अधिनियम के किसी भी नियम या आदेश के तहत, ऐसे लौटाए गए उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और नए सिरे से चुनाव कराया जा सकता है।

(ख) यदि किसी ऐसे मामले में, जिस पर 2 [खंड (क) या खंड (क)] लागू नहीं होता है, किसी निर्वाचन की वैधता दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच विवाद में है, तो न्यायालय प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज मतों की संवीक्षा और गणना के पश्चात् उस उम्मीदवार की घोषणा करेगा जिसके पक्ष में सर्वाधिक वैध मत पाए जाते हैं, उसे चुन लिया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसी गणना के बाद, यदि कोई हो, किसी उम्मीदवार के बीच वोटों की समानता पाई जाती है और एक वोट जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा, तो ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या में एक अतिरिक्त वोट जोड़ा जाएगा, जैसा भी मामला हो, न्यायाधीश की उपस्थिति में पर्ची उठाने के तरीके से जैसे वहह निर्धारित करे, वैसे उम्मेदवारों को चुना जा सकता है।

(5) ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जिसने भ्रष्ट आचरण किया है-

(क) जो किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने या देने से बचने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, कोई धन या मूल्यवान विचार की पेशकश करता है या देता है, या व्यक्तिगत लाभ का कोई वादा करता है, या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कोई खतरा रखता है; या

(ख) जो किसी व्यक्ति को खड़े होने या न खड़े होने या न होने के लिए प्रेरित करने या चुनाव में उम्मीदवार होने से पीछे हटने या न लेने की दृष्टि से, कोई धन या मूल्यवान विचार प्रदान करता है या देता है या कोई वादा या व्यक्तिगत लाभ रखता है या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कोई खतरा रखता है; या

(ग) जो किसी भी मतदाता (स्वयं व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्यों या उसके एजेंट के अलावा) को किसी भी मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए किसी भी वाहन या जहाज को किराए पर लेता है या खरीदता है।

स्पष्टीकरण 1. - एक भ्रष्ट आचरण को एक उम्मीदवार द्वारा किया गया माना जाएगा, यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी और सहमति से

किया गया है जो चुनाव के संदर्भ में ऐसे उम्मीदवार के सामान्य या विशेष प्राधिकरण के तहत कार्य कर रहा है।

स्पष्टीकरण 2. - "वाहन" शब्द का अर्थ है सड़क परिवहन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम किसी भी वाहन को चाहे यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित किया गया हो या अन्यथा, और चाहे अन्य वाहनों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग किया गया हो।

(7) उल्लेखनीय है कि 2015 (हरियाणा पंचायती राज) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के संशोधन अधिनियम संख्या 8 द्वारा, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 175 में संशोधन किया और धारा 175 में एक नया खंड 5 जोड़ा ताकि न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जा सके जो एक सरपंच को चुनाव लड़ने से पहले आवश्यक है। धारा 175 किसी सरपंच या ग्राम पंचायत के पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य को अयोग्य घोषित करती है। धारा 175 में यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इस पद पर नहीं बना रहेगा जो या तो अयोग्य घोषित किया गया है या अपेक्षित योग्यता रखने में कमी पाई गई है। धारा 175 (v) निम्नानुसार निकाली गई है: -

कोई भी व्यक्ति सरपंच या पंच या ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य नहीं होगा या इस रूप में जारी नहीं रहेगा जिसने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है:

बशर्ते कि एक महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के मामले में, न्यूनतम योग्यता मिडिल पास होगी:

बशर्ते कि पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार के मामले में, न्यूनतम योग्यता 5 वीं पास होगी।

(8) इस प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट है कि कोई सरपंच ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं करेगा जिसने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। एक महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता मिडिल पास होगी।

(9) याचिकाकर्ता 23.12.1993 को बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र "अनुबंध पी 2" पर भरोसा करता है। उनका दावा है कि उन्होंने वर्ष 1989 में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सीरियल नंबर 444 के साथ 10 वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। दिनांक 06.08.2018 के एक ईमेल पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह स्पष्ट है कि बोर्ड ने दिनांक 20.09.2017 के एक संकल्प संख्या 9 के तहत सीरियल नंबर 376 से 447 तक के उम्मीदवारों के परिणाम को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता को आवंटित सीरियल नंबर 444 शामिल है। इस प्रकार, इस तथ्य के बारे में शायद ही कोई संदेह हो सकता है कि याचिकाकर्ता के पास

न्यूनतम योग्यता नहीं है। उपायुक्त के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दिए गए उपरोक्त निष्कर्षों को विद्वान वकील द्वारा खारिज नहीं किया गया है। हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता को केवल अधिनियम की धारा 176 के तहत चुनाव याचिका दायर करके हटाया जा सकता है।

(10) अधिनियम की धारा 51 और 176 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि दोनों प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। धारा 176 न्यायालय को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य के चुनाव की वैधता की जांच करने में सक्षम बनाती है। इस तरह की याचिका चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। ऐसी याचिका चुनाव की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी आवश्यक है। विद्वान वकील 1994 अधिनियम की उपधारा 176 या धारा 51 के किसी भी प्रावधान पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहे हैं, जो निदेशक या उपायुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत सरपंच या पंच को निलंबित करने या हटाने से रोकते हैं। धारा 51 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि उप-धारा (3) विभिन्न आधारों को सूचीबद्ध करती है जिसके आधार पर एक सरपंच या पंच को उसके कार्यालय से हटाने का आदेश दिया जा सकता है। 1994 के अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (3) के खंड (बी) में प्रावधान है कि यदि कोई निर्वाचित सरपंच या पंच अपने चुनाव के समय ग्राम पंचायत के सदस्य होने के लिए अयोग्य हो गया था तो उसे संबंधित निदेशक या उपायुक्त द्वारा हटाया जा सकता है। 1994 अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा 3 के खंड (सी) में प्रावधान है कि यदि सरपंच या पंच ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में अपने चुनाव के बाद 1994 अधिनियम की धारा 175 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता को उठाते हैं, तो संबंधित निदेशक या उपायुक्त उसे पद से हटा सकते हैं। जैसा कि पहले ही देखा गया है, धारा 175 (वी) में सरपंच को मैट्रिक तक योग्य होना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ता का परिणाम रद्द कर दिया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता अपने चुनाव के समय ग्राम पंचायत का सदस्य होने के योग्य नहीं था। यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता को बोर्ड के दिनांक 20.09.2017 के फैसले द्वारा परिणाम रद्द करने पर अपनी योग्यता खो दी गई है, तब भी याचिकाकर्ता को धारा 51 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के संदर्भ में हटाया जाना था।

(11) यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम के सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा प्रभावी किया जाना है। यदि दो अलग-अलग प्रावधान परस्पर व्यापत होते हैं तो दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि दोनों प्रावधान एक-दूसरे को बाहर नहीं करते हैं। दोनों अनुभाग अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। धारा 176 तब लागू होती है जब चुनाव याचिका को अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। जबकि, धारा 51 निदेशक या संबंधित उपायुक्त को धारा 51 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आधारों के आधार पर हटाने का आदेश पारित करने में सक्षम

बनाता है। धारा 51 की उपधारा (3) का खंड (सी) बदले में धारा 175 को संदर्भित करता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों में कोई दम नहीं है कि धारा 176 धारा 51 के संचालन को बाहर करती है। इसके अलावा, धारा 176 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह एक न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा चुनाव की वैधता के निर्धारण से संबंधित है। इस तरह की याचिका सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है, जिसके पास उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार क्षेत्र है जिसके भीतर चुनाव आयोजित किया गया है या आयोजित किया जाना चाहिए था। जबकि, धारा 51 निदेशक या संबंधित उपायुक्त को ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे और सरपंच और पंच को सुनवाई का अवसर देने के बाद हटाने का आदेश देने का अधिकार देती है।

(12) इस पीठ ने लाल चंद (सुप्रा) **मामले में माननीय पूर्ण पीठ के निर्णय को भी ध्यानपूर्वक पढ़ा** है। पैरा 6 में माननीय पूर्ण पीठ ने अपने निर्णय के लिए खंडपीठ द्वारा संदर्भित प्रश्नों पर ध्यान दिया। निर्णय के पैरा 28 में, माननीय पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:-

> संक्षेप में, पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्नों के हमारे उत्तर इस प्रकार हैं:
>
> 1. अनुच्छेद 243-ओ के खंड (क) के संबंध में प्रश्न और संविधान के अनुच्छेद 243-जेडजी का खंड (ए); प्रधार संघ क्षेत्र समिति (एआईआर 1995 एससी 1512) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संविधान का उत्तर दिया गया है। (सुप्रा)
>
> 2. संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के खंड (बी) और अनुच्छेद 243-जेडजी के खंड (बी) के संबंध में, हम मानते हैं कि उपरोक्त दो अनुच्छेदों में दिखाई देने वाले "इस संविधान में किसी भी चीज के बावजूद" शब्द संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" के रूप में पढ़े जाएंगे। तदनुसार, अनुच्छेद 243-ओ के खंड (बी) और एन 243-जेडजी के खंड (बी) का अर्थ निम्नानुसार होगा:
>
> "किसी भी पंचायत/नगर पालिका के लिए कोई चुनाव ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा और ऐसी रीति से नहीं बुलाया जाएगा जैसा कि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके द्वारा उपबंधित किया गया हो, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करेगा।
>
> 3. हरियाणा अधिनियम और हरियाणा नियमों के तहत ग्राम पंचायत/जिला परिषद के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, इससे संबंधित दूसरे प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय की पूर्ण

पीठ के फैसले में श्रीमती अंजू बनाम अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन, पेहोव्वा), 1996 के सीडब्ल्यूपी संख्या 15310 के मामले में 12 मार्च को दिया गया था। 1998 (एआईआर 1998 पुंज एंड हर 140 में रिपोर्ट की गई)।

(13) यह स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्णय में उत्तर दिए गए प्रश्न पूरी तरह से अलग थे। माननीय पूर्ण पीठ द्वारा यह नहीं माना गया है कि चुनाव याचिका दायर करने के अलावा, 1994 के अधिनियम की धारा 51 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक सरपंच या पंच को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

(14) वास्तव में, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए, माननीय पूर्ण पीठ ने ***श्रीमती अंजू*** बनाम ***अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), पिहोवा***[2] के मामले में एक अन्य पूर्ण पीठ के निर्णय का उल्लेख किया है। इस पीठ ने **श्रीमती अंजू (सुप्रा)** मामले में पारित पूर्वोक्त निर्णय को भी पढ़ा है। उस मामले में, सवाल यह था कि "क्या चुनाव चिह्नों के परिवर्तन के आधार पर एक चुनाव याचिका पर विचार किया जा सकता है"। माननीय पूर्ण पीठ ने कहा कि एक चुनाव याचिका केवल 1994 अधिनियम की धारा 176 में निर्दिष्ट आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है।

(15) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट जारी करने का कोई आधार नहीं है, जैसा कि अनुरोध किया गया है।

(16) नतीजतन, रिट खारिज कर दी जाती है।

(17) सभी लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटान कर दिया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

करमबीर सिंह,
(अनुवादक)

[2] 1998 (2) PLR 393 (FB)